# अंचल कार्यालय, शिकारीपाड़ा

## आदेश-पत्रक प्रथम

## आदेश-पत्रक

## (देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 ................................ से ................................................ तक

जिला- दुमका (धेनुवाडीह) ........................ सं0 ..............23....... सन् 20-21..

केस का प्रकार ......... अतिक्रमण

| आदेश की क्रम संख्या की तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश के क्रम में की गई कार्रवाई के बाद में टिप्पणी एवं तिथि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 04/08/20 | अभिलेख उपस्थापित। अंचल कार्यालय द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा- धेनुवाडीह, थाना सं0- 13, अनावादी खाता सं0- 41 के प्लॉट सं0- 01 से संबंधित भूमि का जाँचोपरान्त अतिक्रमण संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदनानुसार मौजा धेनुवाडीह, थाना सं0- 13, अनावादी खाता सं0- 41, खेसरा सं0- 01, कुल रकवा 23 बीघा 11 कट्ठा 06 धूर, किस्म जमीन गोचर का ग्रामीण तथा रैयत की उपस्थिति में स्थानीय जाँच किया। जाँचोपरान्त पाया कि श्रीमंत मंडल, पिता- स्व0 धनपति मंडल, ग्राम+पंचायत- गनद्रकपुर के द्वारा मौजा- धेनुवाडीह, थाना सं0- 13, अनावादी खाता सं0- 41, खेसरा सं0- 01 किस्म गोचर में 11 डी0 जमीन में मकई तथा भिन्डी का खेती कर अतिक्रमण किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा उक्त भूमि में अतिक्रमणवाद चलाने हेतु अनुशंसा प्राप्त है।<br>अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/ अंचल अमीन के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अतिक्रमण वाद चलाने के अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया है। अतिक्रमण की विवरणी निम्नवत है :- | |

| क्र0सं0 | अतिक्रमण कर्त्ता का नाम | ग्राम | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा (एकड़ में) | भूमि का किस्म | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | श्रीमंत मंडल, पिता- स्व0 धनपति मंडल | धेनुवाडीह | 41 | 01 | 0.11 | गोचर | श्रीमंत मंडल, पिता- स्व0 धनपति मंडल के द्वारा गोचर भूमि खेसरा सं0- 01 में मकई तथा भिन्डी का खेती करके अतिक्रमण कर रखा है। |

अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमण वाद प्रारम्भ की जाती है, तदनुसार अतिक्रमणकारी को JPLE Act की धारा 3 के तहत नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...19/08/20..... को उपस्थापित करें।

[signature] 04/08/20

अंचल अधिकारी,

शिकारीपाड़ा।

# OFFICE OF CIRCLE OFFICER SHIKARIPARA

## FORM 1

Form of notice under Section 3 of the
Jharkhand Public land Encroachment Act, 1956
JPLE Case No ....23/20-21

To,

Shri/Shrimati श्रीमंत मंडल son/wife/daughter of पिता स्व. धनपति मंडल resident of Village ..पेनुवाडीह.... Thana No ..13..... P.S .शिकारीपाड़ा.. District ....दुमका.....

Whereas you have made or are responsible for the continuance of encroachment upon Khata No ...41...... Plot No ...01....... Area ..0.11... of Village ..पेनुवाडीह.... Thana No .....13...., P.S ..शिकारीपाड़ा. District ..दुमका........ which is public land as defined is Sub-section (3) of Section 2 of Jharkhand Public Land Encroachment Act, 1956 (Jharkhand Act XV of 1956).

You are hereby called upon to appear before me on ..19/08-20........ at ..11-am........ and show cause why such encroachment shall not be removed.

Take notice that if you fail to appear at the time and place mentioned above, the matter will be decided in your absence.

Date ..04/08/20.........

Collector
(under the Act.)

Form No. V-18

## REPORT OF ENCROACHMENT ON PUBLIC PROPERTY.

Dist. DUMKA ........ Sub-Division DUMKA ........... Police Station SHIKARIPARA Halka 01 ..........
Village DHENUWADIH...... Name of Karmachari/Sarkari Amin SUNIL MURMU / GANGA MANDAL
Thana SHIKARIPARA........... Name of Circle Inspector SNEHLATA MURMU ........
Thana Number ....13............ Name of Anchal Adhikari/Circle Officar AMRITA KUMARI

| Sl No. | Plot number | Nature of the land | Nature of encroachment | Area encroached upon | Name and address of the person who has encroached | Date of encroachment | Remarks of circle Inspector after local Inspection | Remarks Anchal Adhikari/Circle Officer after Inspector. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 01 | गोचर | बाड़ी बनाकर खेती किया गया है। | 118 डी. | श्रीमन मंडल, पिता- स्व. धनपति मंडल, ग्राम+पंचायत: सन्दुकपुर प्रखंड- शिकारीपाड़ा | | मौजा- धेनुवाडीह थाना नं०-13 अनावादी खाता नं० 41, खेसरा नं०-01 किस्म जमीन गोचर का प्लाट रकबा 18 डी. को अतिक्रमण किया गया है। सरकारी नियमानुसार अतिक्रमण वाद चलाकर उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकता है। | |

Mamo No. ...............

Forwarded to the Circle Inspector/Circle Officer/Anchal Adhikari/Sub-Divisional Officer for nessary action under the Bihar Land Encroachment Act 1956

Karmchari Halka SUNIL MURMU O

Circle Inspector ..............................

Anchal Adhikari/Circle Officer, Anchal/Circle

... द्वारा दिया गया ...

मौजा - चनुवाडीह न०-13
सर्किल - धमाधिया
सबडिवीजन - दुमका
अंचल - शिकारीपाड़ा
सीट सं-1 थाना नं-1
स्केल 16" = 1 मईल
सं. 1924, 28 ई०

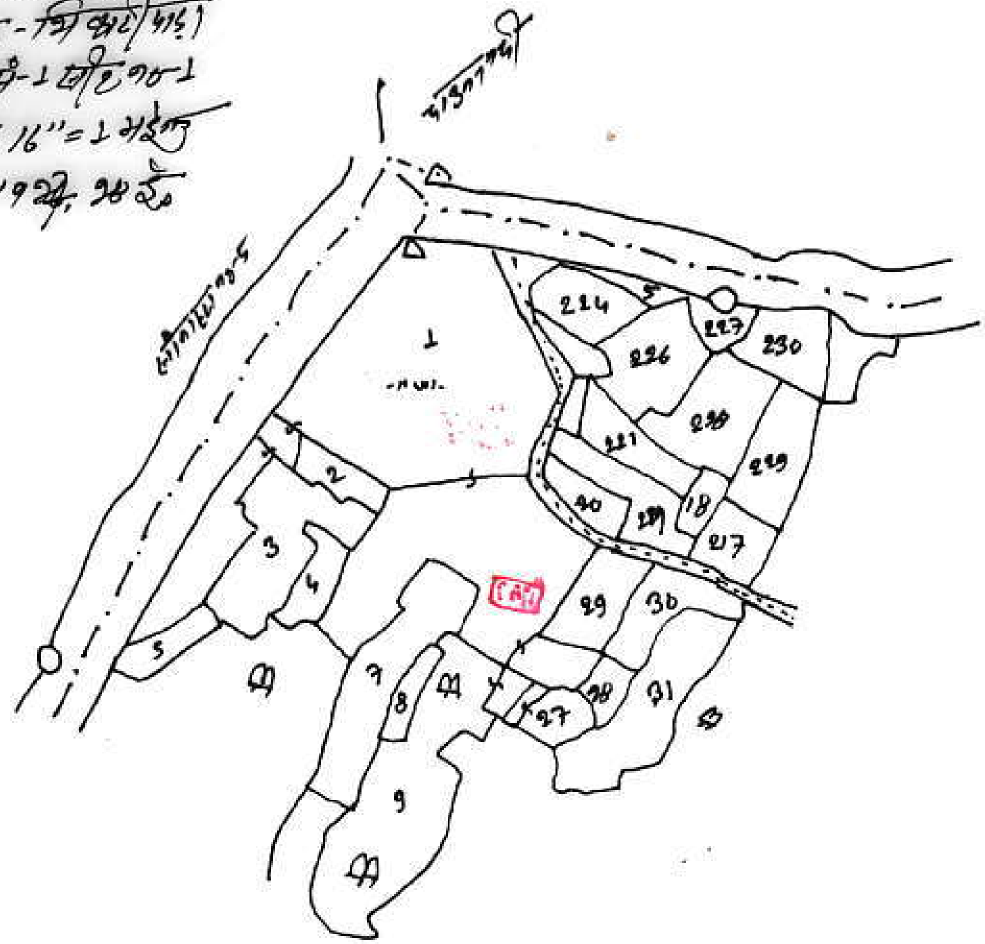


संकेत :-
प्रस्तावित भूमि को लाल रंग से दिखाया
गया है
आवंटित खाता सं-41
दाग नं०-01

भूमि धारक का नाम
श्री ... मंडल
भूमि/आंशिक रकबा - 11.5 डी.
दाग नं०-01 किस्म आँच

अं.नि. (signature) 5/8/20
सुनील कुमार रा.उप.नि.
(signature) प्र.अं.नि.

[illegible]

[illegible]

विषय: गोचर जमीन के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

मकदमा के आदेशानुसार अंचल अमीन तथा प्रभारी अंचल निरीक्षक के साथ मौजा- बेनुवाडीह, थाना नं० 13, अनाबादी खाता सं 41 खेसरा सं०-01, कुल रकबा 23 बीघा, 11 कट्ठा, 6 धूर, किस्म जमीन गोचर का ग्रामीण तथा पाही रैयत के उपस्थिति में स्थानीय जाँच किया। स्थानीय जाँच के क्रम में ग्रामीण तथा पाही रैयत ने बतलाया कि :- (1) जगदीशचन्द्र मल्लिक, पिता- स्व. ज्योतिन्द्रनाथ, ग्राम + पंचायत- गन्द्रकपुर के द्वारा मौजा- बेनुवाडीह, थाना नं० 13, अनाबादी खाता सं०-41, खेसरा सं०-01 किस्म जमीन गोचर में 16 डी. जमीन मकाई तथा मिट्टी का खेती किया गया है।

(2) श्रीमत मंडल, पिता- स्व. धनपति मंडल ग्राम + पंचायत- गन्द्रकपुर के द्वारा मौजा- बेनुवाडीह, थाना नं०-13, अनाबादी खाता सं०41 खेसरा सं० किस्म जमीन गोचर, 11 डी. जमीन पर मकाई तथा मिट्टी का खेती किया गया है।

(3) कनाई मल्लिक, पिता- स्व. महादेव मल्लिक, ग्राम- सोनाहारा, पंचायत- गन्द्रकपुर के द्वारा मौजा- बेनुवाडीह, थाना नं० 13, अनाबादी खाता सं०41, खेसरा सं०-01 किस्म जमीन गोचर, 14 डी. जमीन पर मकाई का खेती किया गया है।

अंचल अमीन के द्वारा दिया गया ट्रेस नक्शा प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

अतः अग्रेतर कार्रवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित

विश्वास भाजन

अंचल अमीन

प्रभारी अंचल निरीक्षक

(हस्ताक्षर)

पृ० सं० को निष्पादन कार्यवाही हेतु प्रेषित 05/08

| आदेश की क्रम संख्या की तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश के क्रम में की गई कार्रवाई के बाद में टिप्पणी एवं तिथि |
|---|---|---|
| 19.08.2020 | अभिलेख उपस्थापित। नोटिश तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अतिक्रमणकारी उपस्थित। अतिक्रमणकारी उपस्थिति आवेदन पत्र के साथ लिखित सूचना दी गई है कि मौजा-धेनुवाडीह के अन्तर्गत लगभग 6 (छः) कट्ठा जमीन पर मकई लगाया था और अभी इसमें खेती नहीं करेंगें। अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एंव प्रभारी अंचल निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि अतिक्रमित किये गये गोचर जमीन पर लगाया गया फसल पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटाया है या नहीं अद्यतन जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 10.09.20 को उपस्थापित करें।<br><br>लेखापित-<br>अं0अ0<br><br>19/8/20<br>अंचल अधिकारी,<br>शिकारीपाड़ा। | |

| आदेश की क्रम संख्या की तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश के क्रम में की गई कार्रवाई के बाद में टिप्पणी एवं तिथि |
|---|---|---|
| 10.09.2020 | अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को इस कार्यालय के ज्ञापांक 703/रा0 दिनांक 19.08.2020 द्वारा निदेश दिया गया था कि अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमित किये गये गोचर जमीन पर लगाया गया फसल हटा लिया गया है या नहीं से संबंधित अद्यतन जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराऐगें। किन्तु आज तक अद्यतन जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि 2 दिनों के अन्दर अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करें। साथ ही विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण भी समर्पित करेगें। अभिलेख दिनांक ...25.09.20... को उपस्थापित करें।<br><br>लेखापित<br>अं0अ0<br><br>अंचल अधिकारी,<br>शिकारीपाड़ा। | |

| आदेश की क्रम संख्या की तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश के क्रम में की गई कार्रवाई के बाद में टिप्पणी एवं तिथि |
|---|---|---|
| 12.09.2020 | अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा- धेनुवाडीह, पंचायत- गन्द्रकपुर में जाकर राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक द्वारा स्थलीय अद्यतन जाँच किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमित किए गए गोचर जमीन पर लगाया गया फसल को हटा लिया गया है एंव उक्त गोचर जमीन पर दोबारा कृषि कार्य नहीं करने की बात कही गई है।<br>राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक द्वारा स्थल जाँच कर प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया।<br>अतः राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।<br><br>लेखापित<br>अं0अ0<br><br>अंचल अधिकारी,<br>शिकारीपाड़ा। | |